न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 16 / 2019

अलीजान उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कैथवाड़ा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.08.2019 प्रकरण सं0 17 / 2019 सरकार बनाम अलीजान

निर्णय **दिनांक 24.12.2019**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.08.2019 इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आज्ञा देने से पूर्व अपीलांट द्वारा दिये गये जबाब का कतई अवलोकन नहीं किया जबकि अपीलांट ने अपने जबाब में स्पष्ट लिखा है कि पोश मशीन संख्या 29885 पर जितना राशन दर्ज है उतना राशन मौके पर अपीलांट के स्टॉक में उपलब्ध है । प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके की सही जांच नहीं की है। अपीलांट ने लाईसेंस निरस्त होने के बाद दूसरे राशन डीलर को जो माल सुपुर्दगी में दिया है वह रिकॉर्ड के अनुरूप है। तहत न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा, आज्ञा की श्रेणी में नहीं है । उक्त आज्ञा में अपीलांट द्वारा दिये गये जबाब को न मानने का कोई कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अपीलांट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता ने कोई शिकायत नहीं की है। मात्र तकनीकी आधारों पर ही अपीलांट के लाईसेंस को निरस्त किया गया है।

अंत में अपीलांट द्वारा प्रार्थना की गई है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके की सही जांच नहीं की गई है । पोस मशीन पर जितना राशन दर्ज था उतना राशन मौके पर अपीलान्ट के स्टॉक में उपलब्ध था । कम बताई गई गेंहू की मात्रा वक्त जांच तक प्राप्त नहीं हुई थी । आपूर्ति निगम से यह गेंहू आगामी दिवस को डीलर को प्राप्त हुआ था । अपीलान्ट ने लाइसेंस निरस्त होने के बाद दूसरे राशन डीलर को जो माल सुपुर्दगी में दिया वह रिकार्ड के अनूरूप है । यह तथ्य अपीलान्ट द्वारा

अपने जबाव में भी अंकित किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव /रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो नोन स्पीकिंग आदेश है । अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की शिकायत भी नहीं है । तकनीकी आधार पर लाइसेंस निरस्त किया गया है जो गलत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे ।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि वर्तमान में अक्टूबर 2016 से स्टॉक व वितरण के रजिस्टरों को संधारण करना बंद हो चुका है । पोस मशीन पर ही स्टॉक संधारण किया जाता है । वक्त जांच पोस मशीन में 51 कि. ग्रा. चीनी, 40 लीटर कैरोसिन तेल व 82.65 क्विण्टल गेंहूॅ का स्टॉक था । जांच दिनांक 19.02.2019 से दो दिवस पूर्व आपूर्ति निगम द्वारा दिनांक 17.02.2019 को 46. 75 क्विण्टल गेंहूॅ भी भिजवाया गया था जो वक्त जांच तक डीलर द्वारा पोस मशीन में अपडेट नहीं किया था । दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूॅ 80.50 क्विण्टल मिला जो कि वांछित मात्रा से 48.89 क्विण्टल कम था । इसके अतिरिक्त कैरोसिन व चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया । फर्द मौका पर दिनांक 17.02.2019 को गेंहूॅ आना अंकित है जिस पर डीलर के हस्ताक्षर हैं । डीलर के पास स्टॉक भी वांछित मात्रा से 48.89 क्विण्टल गेंहॅ, 51 कि.ग्रा. चीनी व 40 लीटर कैरोसिन कम पाया गया है । चूंकि कैरोसिन व चीनी का भी स्टॉक डीलर के पास नहीं था किन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के डीलर को पूरी मात्रा में उक्त वस्तुओं का हस्तान्तरण करना पूर्व नियोजित सोच का परिणाम है । यह तथ्य डीलर की कालाबाजारी की मनोवृत्ति को दर्शाता है व बाद में पूरी मात्रा में हस्तांतरण कर उसके द्वारा अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया है । अतः डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 6,7, 8, 11, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक एवं रेस्पो0 पैरोकार रसद के कथनों पर मनन किया।तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच उक्त डीलर की पोस मशीन में 51 कि.ग्रा. चीनी, 40 लीटर कैरोसिन तेल व 82.65 क्विण्टल गेंहूॅ का स्टॉक था । आपूर्ति निगम द्वारा दिनांक 17. 02.2019 को 46.75 क्विण्टल गेंहूॅ भी भिजवाया गया था जो वक्त जांच तक डीलर द्वारा पोस मशीन में अपडेट नहीं किया था । दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूॅ की कुल मात्रा 129.40 क्विण्टल होनी चाहिए थी जबकि गेंहूॅ 80.50 क्विण्टल मिला जो वांछित मात्रा से 48.90 क्विण्टल कम था । इसके अतिरिक्त कैरोसिन व चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया । किन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के डीलर को पूरी मात्रा में उक्त वस्तुओं का हस्तान्तरण डीलर द्वारा किस प्रकार किया गया जो विचारणीय

बिन्दु है । अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में किया गया कथन कि कम बताई गई गेंहूॅ की मात्रा वक्त जांच तक प्राप्त नहीं हुई थी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि दुकान का निरीक्षण दिनांक 19.02.2019 को किया गया है जबकि आपूर्ति निगम से दिनांक 17.02.2019 को ही डीलर को 46.75 क्विण्टल गेंहूॅ प्राप्त हो गया था। इस प्रकार डीलर के पास 48.90 क्विण्टल गेंहॅ, 51 कि.ग्रा. चीनी व 40 लीटर कैरोसिन कम पाया गया जिसका उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गबन/कालाबाजारी किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है । डीलर के विरूद्ध उक्त कृत्य के लिए सम्बन्धित पुलिस थाना में एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई है अतः डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 6,7, 8, 11, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई भी त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलाण्ट काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 24.12.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:25:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: